न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3665–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–10–2014 पारित द्वारा अपर तहसीलदार तहसील टप्पा घाटीगांव परगना व जिला ग्वालियर, प्रकरण कमांक 08/अ–12/2012–13

.....

कुबेर सिंह पुत्र श्री लायकराम मिर्धा
निवासी ग्राम ददोरी तहसील टप्पा घाटीगांव
परगना व जिला ग्वालियर

..... आवेदक

विरूद्ध

1–अजयसिंह पुत्र श्री रामसिंह
निवासी ग्राम ददोरी तहसील टप्पा घाटीगांव,
परगना व जिला ग्वालियर
2–रामसिंह पुत्र श्री गोपालसिंह
निवासी ग्राम ददोरी तहसील टप्पा घाटीगांव
परगना व जिला ग्वालियर

..... अनावेदकगण

.....

श्री सी0एम0गुप्ता, अभिभाषक–आवेदक
श्री एस0एन0शर्मा, अभिभाषक–अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 16/6/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा म.प्र.भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर तहसीलदार तहसील टप्पा घाटीगांव परगना व जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–10–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 अजयसिंह के द्वारा ग्राम मोहना स्थित भूमि सर्वे कमांक 2973 के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 08/अ–12/2012–13 दर्ज कर प्रश्नाधीन भूमि का विधिवत प्रकिया अपनाकर सीमांकन कराया जाकर दिनांक 16–10–2014 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । अपर तहसीलदार के इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा सीमांकन की कार्यवाही में आवेदक को सूचना तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई व पक्ष समर्थन का अवसर नहीं दिया गया है। यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा सीमांकन की कार्यवाही एक तरफा बाला बाला तरीके से की गई है तथा जिसमें सीमांकन की पूरी प्रकिया अपनाई ही नहीं गई है, फील्डबुक आदि भी नहीं बनाई गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदक खसरे के खाना नम्बर 12 में कब्जाधारी होकर वर्ष 2000–01 से कब्जा चला आ रहा है एवं प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक निरन्तर खेती कर रहा है । यह भी कहा गया कि अनावेदक सीमांकन की आड़ में आवेदक का मौके से कब्जा छीनना चाहता है जिससे आवेदक को अपूर्णनीय क्षति होगी । अंत में कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा की गई सीमांकन की कार्यवाही दूषित होने से सीमांकन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर तहसीलदार द्वारा विधिवत् प्रकिया अपनाकर सीमांकन आदेश पारित किया गया है । यह भी कहा गया कि अनावेदक रामसिंह टी.बी. का मरीज है, इसलिये उसके पुत्र द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, तहसील न्यायालय को कब्जा लिखने का अधिकार नहीं है, आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है । आवेदक उक्त भूमि का भूमिस्वामी नहीं है । अतः यह निगरानी निरस्त की जाकर तहसील न्यायालय द्वारा पारित सीमांकन आदेश स्थिर रखा जाये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का कब्जा खसरे के कॉलम नम्बर 12 में दर्ज है, ऐसी स्थिति में सीमांकन कार्यवाही में आवेदक हितबद्ध पक्षकार है और उसे सूचना दी जाकर उसके समक्ष सीमांकन कार्यवाही की जाना चाहिये थी, परन्तु तहसीलदार द्वारा उक्त कार्यवाही नहीं कर सीमांकन किया जाकर आदेश पारित करने में अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है, इसलिये तहसील न्यायालय का सीमांकन आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि आवेदक सहित पड़ोसी कृषकों को विधिवत् सूचना देकर उनकी उपस्थिति में नये सिरे से सीमांकन कार्यवाही कराकर विधिवत् सीमांकन आदेश पारित करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर तहसीलदार तहसील टप्पा घाटीगांव परगना व जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–10–2014 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही की जाकर आदेश पारित करने हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्ति किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर